

E-Gras को काम में लेने की प्रक्रिया

1. <https://egras.raj.nic.in> की वेबसाइट खोलें
2. यदि आपके पास पहले से User Name एवं Password है तो संबंधित कॉलम में User Name एवं Password को डालें अन्यथा User Name एवं Password के कॉलम में guest भरें
3. स्क्रीन पर दर्शाए गए पञ्च चित्रों में से Select के आगे निर्देशित चित्र का चयन कर उस चित्र को अपनी जगह से उठाकर Drop Here खे गोले में डालें
4. Log In के बटन पर क्लिक करें
5. विभागों की सूची में 17 Commercial Taxes Deptt. का चयन करें
6. Major Head के Drop Down Box पर क्लिक करें
7. जिस Head में राशी जमा करनी है उस Head का चयन करें जैसे 0040 & बिक्री व्यापाप आदि पर कर के लिए 0042 & माल कजे प्रवेश पर कर के लिए (Entry Tax)
8. जिस Sub Head में राशी जमा करनी है उस Sub Head का चयन करें जैसे Adv. Payment of VAT, Adv. Payment of CST, Demand of penalty आदि
9. >> के बटन पर क्लिक करें इस प्रकार आवश्यकतानुसार जिस Sub Head में राशी जमा करनी है उन्हें चयन कर सकते हैं
10. Submitt के बटन पर क्लिक करें
11. अब E Challan के भरने की प्रक्रिया शुरू हो जावेगी
12. जिस जिले में व्यवहारी पंजीकृत है उस जिले का चयन करें
13. तत्पश्चात अपने कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय का चयन करें
14. जिस जगह के कोषालय / उप कोषालय में राशी जमा करायी का चयन करें
15. जिस समयावधि का कर जमा करवाना है उस समयावधि का चयन करें यदि 2010-11 से पूर्व की समयावधि की मांग जमा करवानी है तो Select period में one time का चयन करें जिससे चाही गयी समयावधि को टाइप अथवा चयन किया जा सकता है
16. जमा कराई जाने वाली राशि का संबंधित कॉलम में इन्द्राज करें
17. Type of payment में Manual अथवा E-payment का चयन करें
18. जिस बैंक में राशि जमा करा रहे है उस बैंक का नाम एवं ब्रांच का नाम चयन करें

19. यदि व्यवहारी अपंजीकृत है तो Remitter Name के आगे स्वयं अथवा अपनी फर्म का नाम भरें
20. पंजीकृत फर्म द्वारा अपना TIN के कॉलम में TIN भरने पर फार्म का नाम अपने आप ही आ जायेगा
21. जहाँ राशि जमा हो रही है वहां का PIN code एवं Remitter का Addr भरें
22. अपने खंडीय कार्यालय का चयन करें
23. संबंधित वृत्त एवं वार्ड का चयन करें
24. Submit बटन दबा कर चालान पञ्च प्रति में Print कर, संबंधित बैंक में राशि जमा करावें